# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

**राजस्व अपील/विविध/रा.का.अधि./08/2024/बाड़मेर**

| अपीलांटस | रेस्पोडेंटगण/प्रत्यर्थीगण |
|---|---|
| 1. आईदानराम पुत्र श्री हीराराम<br>2. सोनाराम पुत्र श्री हीराराम<br>3. चुतराराम पुत्र श्री हीराराम<br>4. बाबूलाल पुत्र श्री हीराराम<br>5. प्रतापराम पुत्र श्री रामकिशन<br>6. मीरा पत्नी स्व0 श्री रामकिशन सभी जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, धौरीमन्ना तिहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर | 1. लाधुराम पुत्र हेमाराम<br>2. हरलाल पुत्र श्री भारताराम<br>का.मु.<br>2/1हुकमाराम पुत्र हरलाल<br>2/2केसरीमल पुत्र हरलाल<br>2/3श्रीराम पुत्र हरलाल<br>3. भगवानाराम पुत्र भींयाराम<br>4. हरीराम पुत्र श्री रामूराम<br>5. रामजीवन पुत्र श्री रामूराम<br>6. बाबूलाल पुत्र श्री रामूराम<br>7. सुखदेव पुत्र श्री हीराराम पोत्र रामूराम<br>8. एलची देवी पत्नी श्री हीराराम सभी जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी धौरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर<br>9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौरीमन्ना |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत टीनेन्सी अपील संख्या 159/2012 बउनवान आईदानराम वगैरह बनाम लाधूराम वगैरह के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी, श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलान्ट संख्या 01 से 03 व 05, 06 की ओर से।
2. वकील श्री राजेश विश्नोई उतरदाता/प्रत्यर्थी संख्या 02 के कायम मुकाम की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः–02.04.2025**

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 02 मृतक हरलाल व प्रत्यर्थी संख्या 01 के पिता स्व. भारताराम ने तात्कालीक ग्राम धौरीमन्ना वर्तमान ग्राम अजाणियों की ढाणी के भूमि खसरा संख्या 369 रकबा 31.02 बीघा को वादीगण हेमाराम व हरलाल तथा प्रतिवादी रामू पुत्र लूम्बा, भगवाना पुत्र भीया, हरजी पुत्र भारता के सामलाती खातेदारी की घोषित करने के लिये एक वाद संख्या 92/1986 तात्कालीक विद्वान सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद को प्रतिवादी रामू, भगवाना, हरजी द्वारा विचारण न्यायालय में हाजिर होकर इकबालिया जबाबदावा प्रस्तुत करने पर एवं वादीगण के वाद को स्वीकार करने पर निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.1986 को वादीगण के पक्ष में पारित कर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने की आज्ञा प्रदान की गयी। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.1986 के विरूद्ध मृतक प्रतिवादी हरजी पुत्र भारता के कायम मुकाम ने अपील संख्या 159/2012 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई। उक्त अपील मे हम प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना आलोच्य निर्णय दिनांक 26.11.2013 पारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा निर्णित अपील पत्रावली को हस्तगत आवेदन के संलग्न किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

प्रत्यर्थी संख्या 02 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में सहायक कलक्टर, बाड़मेर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 92/1986 पेश किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जबाव दावा प्रस्तुत करने पर उक्त वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.1986 पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.04.2012 को अपील प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 159/2012 पर दर्ज की गई। उपरोक्त अपील का तारीख पेशी दिनांक 07.08.2012 का कोई सम्मन मृतक प्रत्यर्थी हरलाल को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये मृतक प्रत्यर्थी उपरोक्त अपील में सूचना नहीं होने से उपस्थित नहीं हुआ। उक्त पेशी का सम्मन लेकर तामील कुनिंदा दिनांक 27.07.2012 को लेकर मृतक प्रत्यर्थी के पास नहीं आया। जो सम्मन सम्यक रूप से प्रत्यर्थीगण पर तामील नहीं था, जिसको तामील मानकर मृतक प्रत्यर्थी हरलाल के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। मृतक प्रत्यर्थी के सम्मन पर तारीख पेशी दिनांक 07.08.2012 को बतायी गयी है जबकि उपरोक्त अपील में दिनांक 07.08.2012 की कोई पेशी निश्चित ही नहीं थी। इस प्रकार मृतक प्रत्यर्थी के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही पूर्णतया गलत की गयी। श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त अपील की सुनवाई प्रक्रिया में प्रत्यर्थी संख्या 02 को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2013 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाते हुए अपील को पुनः नंबर पर लेकर प्रत्यर्थी को सुनवाई का मौका फरमावे।

अपीलांटस अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र पर का लिखित में जबाव पेश कर उसमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वर्णित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सभी खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया इसलिए रिव्यू चलने योग्य नहीं है। सम्मन जारी करना न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है तथा उस पर पेशी दिनांक न्यायालय द्वारा अपने सहुलियत अनुसार तय की जाती है। उक्त उनवान की अपील में नियत तिथि पर उतरदाता उपस्थित होते तो सुनवाई हो जाती तथा न्यायालय उसे आगामी तिथि प्रदान कर देते तथा उतरदाता की अनुपस्थिति में दिनांक 31.10.2012 को की गई जो 07.08.2012 से काफी समय बाद होने से अवसर नहीं दिया ऐसा कहना न्याय संगत नहीं है यदि न्यायालय में इस अवधि में कभी भी उपस्थित होते तो सुनवाई हो जाती जबकि उतरदातागण जानबूझकर न्यायालय में इस अवधि में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली के सरबरक व आदेशिका में भी 7.8.2012 अंकीत थी। परन्तु 1 माह की लम्बी अवधि की अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से पीठासीन अधिकारी के उपस्थित के अनुसार पेशी लेकर हड़ताल समाप्त होने पर रखी थी। न्यायालय की उस समय की सुनवाई की क्या प्रक्रिया रही इससे पत्रावली के फैसले पर कोई असर नहीं होता है। उरतदाता ने आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.1986 में किसी भी प्रकार की पालना या कार्यवाही हेतु कोई रूचि नहीं थी तथा लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 136 के अनुसार 12 वर्ष बाद यानि 19.09.1986 को डिक्री शून्य हो गई यह बात रिव्यूकर्ता की जानकारी में थी इसलिए उपस्थित नहीं हुए यदि उपस्थित होते तो भी फैसला प्रभावित नहीं होता क्योंकि पाड़ौसी की हैसियत से कुछ विवाद होने पर इस आदेश को प्रथम न्यायालय में बंटवारे के दावे में किसी अन्य सह खातेदार से मिलकर पेश करवाया। उक्त बंटवारे के वाद में एक बार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए उसके बाद न्यायालय मे उपस्थित ही नहीं हुए। बंटवारे का दावा लगाने वाले सहखातेदार ने अपना वाद जरिये राजीनामा विड्रो कर उक्त आराजी का सहमति से काबिज अनुसार बंटवारा करवा लिया। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी के विभिन्न हिस्सों में बंटवारा होने के बाद आबादी क्षेत्र के पास होने से रहवासी भूखण्ड हेतु आवासीय संपरिवर्तित करवाते हुए अंतरण कर वर्तमान में 50 लोगों के घर बने हुए हैं तथा आधी से अधिक भूमि आवासीय परिर्वतित होकर बड़े बड़े भवन बन चुके हैं जो उतरदाता की उपस्थिति में बनाये गये जबकि रिव्यूकर्ता को कभी भी कोई उज्र ऐतराज नहीं था। प्रत्यर्थी के नाम से जारी सम्मन पर विधिवत रूप से तामील करवाई गई। वादग्रस्त आराजी के संबंध में कभी भी उत्तरदाता ने इच्छा जाहिर नहीं की केवल वर्ष 1986 में अन्य संयुक्त आराजी के बंटवारे के समय रिव्यू कर्ता जो सरकारी नौकरी में पढ़ा लिख होशियार होने से एक समानान्तर कार्यवाही उन्हीं अंगुष्ठ के सहारे चलायी गई। धोखाधड़ी से अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाकर बिना बयान करवाये, डिक्री पर्चा जारी करवा लिया परन्तु

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हल्का पटवारी स्थानीय होने से हल्का पटवारी को यह जानकारी थी की मुतवफी हरजीराम लम्बे समय से बीमार होने से तथा उक्त आराजी में हरजी द्वारा कभी भी इनको नही देने का कहा तथा हल्का पटवारी द्वारा पूछने पर भी हरजी द्वारा अपनी उक्त स्वअर्जित भूमि बताई तो रिव्यूकर्ता के मन में उक्त गलत कार्यवाही के प्रति भय होने से किसी भी प्रकार की इजरा नहीं की गई तथा 26 वर्ष तक कभी भी किसी को भी उक्त निर्णय के बारे में नहीं बताया गया। शेष आराजी खसरा संख्या 419 का बंटवारा रिव्यूकर्ता केसरीमल जो हमारे सभी भाईयों में एकमात्र पढ़ा लिखा नौकरी वाला होने से पूरा बंटवारा खुद ने करवाया। आलोच्य वर्ष 1986 में पेश वाद जिसमें मुतवफी हरजी की उपस्थिति बताई गई। उक्त उपस्थिति पूर्ण रूप से षड़यंत्र व काल्पनिक रूप से तैयार करवायी गयी। वादग्रस्त आराजी हरजीराम की स्वअर्जित भूमि थी जिसमें हरजीराम का 1/2 हिस्सा में काश्त करते थे तथा 1/2 हिस्सा में लुम्बाराम काश्त करते थे तथा दोनों का नाम वक्त सेटलमेंट में स्वअर्जित भूमि होने से किया गया। प्रत्यर्थी का सेटलमेंट अलग खसरा संख्या 368 रकबा 72 बीघा में हुआ। माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 26.11.2013 पूर्ण रूप से विधि सम्मत सुनवाई का अवसर देते हुए पारित किया गया। हस्तगत भूमि में खसरों मे 10 वर्ष पूर्व आधे से अधिक आवासीय भूमि के रूप में हो चुकी है जिनमें 50 खातेदार हैं। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलांटस को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अतः प्रत्यर्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–RRT 2024(1) Page 403, RRT 2024(1) Page 133

वकील प्रत्यर्थी संख्या 02 के कायम मुकाम ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस करते हुए बताया कि मृतक प्रत्यर्थी 2 हरलाल के विरूद्ध उसका सम्मन सम्यक रूप से तामील होकर प्राप्त हुए बिना एकपक्षीय निर्णय उसके विरूद्ध पारित किया गया। प्रत्यर्थी को श्रीमान न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उपरोक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2013 की पहली बार जानकारी दिनांक 06.11.2024 को तब हुई जब उपरोक्त आईदानराम वगैरह में प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से उनकी फसल को काटने से मना कर दिया एवं जबरन कब्जा करने पर उतारू हुए तथा बताया कि आपके हक में हुए निर्णय को हमने अपील में निरस्त करवा दिया है। अब आप भूमि का कब्जा छोड़ दो। इसके बाद प्रार्थी ने एकपक्षीय निर्णय का पता कर प्रार्थी केसरीमल ने इसकी नकलों के लिये दिनांक 08.11.2024 को आवेदन किया जिस पर नकल तैयार होकर उसी दिन प्राप्त हुई तब पढने से प्रार्थी को पहली बार जानकारी हुई। इसके बाद प्रार्थी ने अपने भाईयों को बताया तब सभी प्रार्थीगण ने मिलकर यह प्रार्थना–पत्र अपील को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पुनः सुनवाई के लिये प्रस्तुत करने का तय किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने में जानबूझकर कोई विलंब नहीं किया गया। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र का लिखित जबाव पेश कर उसमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्षों पूर्व विभाजित होकर 21 खसरों में 50 खातेदारों के नाम होकर आवासीय परिवर्तित हो चुकी है जिसमें रिव्यूकर्ता ने अपने दामाद के नाम से पुत्री के लिए भूखण्ड भी लिया। इसलिए सम्पूर्ण जानकारी थी। वादग्रस्त आराजी में लम्बे समय से कोई काश्त नहीं की हुई है फोटो ग्राफ व सेटेलाईट ईमेज पेश की है। वर्ष 2015 में रिव्यूकर्ता के पूर्व के सहयोगी लाधुराम द्वारा रास्ते के प्रकरण में इसी न्यायालय में अपील पेश की जो वर्ष 2022 तक लम्बित होने से न्यायालय की पूर्ण कार्यवाही से तथा भूमि में होने वाले हर परिवर्तन की जानकारी रखते थे। इसलिए विधि में जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने तथा अवधिपार डिक्री जो किसी भी दृष्टि से वैध नहीं होने से उसका रिव्यू म्याद में लेकर न्यायालय का समय जाया नहीं किया जा सकता। न्याय की स्पष्ट मंशा है की सोये हुए व्यक्ति की न्यायालय किसी सूरत में मदद नही कर सकता। अपीलीय प्रकरण का रिव्यू जो म्याद से बाहर हो उसे सुना नहीं जा सकता इसलिए अवधिपार डिक्री को लिमिटेशन एक्ट की आर्टिकल 136 में पूर्ण रूप से बाधित होने से रिव्यू याचिका प्रथम दृष्टया म्याद से बाहर है। श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब प्रत्यर्थी द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रत्यर्थी का खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–CCC 2025(1) Page 690

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। हाजा न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के नाम से जारी सम्मन में अंकित तारीख पेशी के दिन अपील की सुनवाई नियत नहीं थी। प्रत्यर्थी को सुने बिना विधि विरूद्ध तरीके से अपील में निर्णय पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा प्रत्यर्थी द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हाजा न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अपील संख्या 159/2012 में प्रत्यर्थी की तामील हेतु सम्मन जारी किये गये जो प्रत्यर्थी संख्या 02 स्वयं को सम्यक तामील नहीं करवाये गये। उक्त अपील में सम्मन जारी करते वक्त सम्मन में तारीख पेश दिनांक 07.08.2012 अंकित की गई जबकि अपील पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त अपील में तारीख पेश दिनांक 07.08.2012 को सुनवाई हेतु नियत नहीं थी। उक्त अपील में निर्णय पारित करते वक्त प्रत्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। तामील प्रक्रिया में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई। अपील में प्रथम बार नोटिस जारी करते हुए प्रतिस्थापित तामील करवाई गई। सम्मन की तामील सवार द्वारा करवाई गई तथा सवार की तामील रिपोर्ट पर तहसीलदार का कोई सत्यापन नहीं किया गया। हस्तगत अपील के सम्मन प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये। हाजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील में निर्णय पारित करते वक्त वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की गई। मूल अपील में आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों तथा मेरी सुविचारित राय में प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने योग्य ठहरता हैं।

लिहाजा प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 159/2012 बउनवान आईदानराम वगैरह बनाम लाधूराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2013 को अपास्त किया जाता हैं। प्रत्यर्थीगण को सुनने हेतु मूल अपील पुनः पुराने नंबर पर दर्ज हो।

2/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर